AIO - to see 3/8/72

E.C. Dds. 3/8/72

I

सं० 486/15-(4)-49/54/72
दिनांक 31-7-72

प्रेषक:

श्री एम०यू० अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रा० आ० 3849 4-8-72

सेवा में:

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

शिक्षा (4) अनुभाग । लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 1972

विषय :- वर्ष 1972-73 में योजना संख्या 71020। के अन्तर्गत बालकों के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति एवं नये राजकीय हाई स्कूलों (कक्षा 6-10) का खोलना ।

महोदय,

1- ग्राम कछपुरा तहसील बाह (आगरा)
2- डाकपत्थर (देहरादून)
3- गदरपुर (नैनीताल)
4- राजकीय जूनियर हाई स्कूल, कीर्तीनगर (टेहरी गढ़वाल)

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय जूनियर हाई स्कूल, कीर्तीनगर (टेहरी गढ़वाल) को साहित्यिक वर्ग में हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति करने तथा साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वर्गों में पार्श्वांकित स्थानों में नये राजकीय हाई स्कूल (कक्षा '6-10) के खोलने की अनुमति जुलाई, 1972 से प्रदान करते हैं ।

2- उपरोक्त के संबंध में संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में दिखाये गये पदों को उनके साथ दिए हुए वेतन क्रमों में उन पर नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के लिए जो फरवरी, 1974 के अन्तिम दिन समाप्त होगी, यदि ये पद उससे पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजन करने की तथा इनमें दिये गये अन्य व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह पद अपने सब वर्गों में अस्थायी परिवर्धन माने जायेंगे । पदों पर नियुक्ति उसी समय की जाये जब आवश्यकता हो ।

3- राजकीय जूनियर हाई स्कूल, कीर्तीनगर टेहरी गढ़वाल का वर्तमान एल०टी० वेतन क्रम का प्रधानाध्यापक का पद सहायक अध्यापक के रूप में चलता रहेगा । सी०टी० वेतन क्रम में पांच पद सृजित होने पर कक्षा 6-8 तक में पढ़ाने वाले सहायक के वर्तमान पद यदि वे स्थाई हो तो स्थगन में (in abeyance) कर दिये जायेंगे और अस्थायी होने पर उन्हें समाप्त कर दिया जाय । इस विद्यालय में अगर कोई पद लिपिक का होगा तो नये पदों के सृजन पर वह भी स्थायी होने पर स्थगत में कर दिया जाय तथा अस्थाई होने पर समाप्त कर दिया जाय । उक्त पदों में कितने स्थायी अथवा अस्थायी हैं और उन्हें तदनुसार स्थगन में करने अथवा समाप्त कर देने के संबंध में शासन को सूचना भेजी जाय ।

4- चूंकि प्रश्नगत विद्यालयों को खोलने हेतु वर्तमान आय-व्ययक में प्राविधान नहीं है और इन विद्यालयों का खोला जाना जन हित में आवश्यक है अतः

इस हेतु राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिक निधि से 57,000 रु० (सत्तावन हजार रुपये) अग्रिम रूप में लेने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उल्लिखित पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति मँहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय समय पर दिए गये हैं, भी पायेंगे।

6- उक्त व्यय का भुगतान "28-शिक्षा -आयोजनागत-ग-माध्यमिक (जिसके अन्तर्गत इण्टरमीडिएट कक्षायें भी हैं) (क) राजकीय माध्यमिक विद्यालय-1- लड़कों के -(9) बालकों के कतिपय राजकीय अवर माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूलों) को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नति तथा बालकों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6-10 तक खोलना (संकेत सं० 710201)" शीर्षक से वर्ष 1972-73, 1973-74 के आय व्ययक से होगा।

भवदीय,

(एम०यू० अहमद)
विशेष सचिव।

वित्त विभाग

सं० ई- 11 — 34 — /दस - तदिनाँकित -
प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित :

आज्ञा से

(लक्ष्मी कान्त श्रीवास्तव)
अनु सचिव :

उ०प्र० सं० 486 /15-(4)-49/54/72

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- वित्त (ई- 11) अनुभाग।
2- जिला विद्यालय निरीक्षक, टेहरी गढ़वाल, आगरा, देहरादून तथा
3- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

(एम०यू० अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या 1552/4(10)/28-2-78

प्रेषक,

श्री प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उ0प्र0,
शिक्षा (माध्यमिक) अनुभाग,
इलाहाबाद ।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2

दिनांक : लखनऊ : मार्च 31, 1978

विषयः- पर्वतीय क्षेत्र की पंचम पंचवर्षीय योजना-राजकीय हाई स्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण करना ।

महोदय,

पार्श्वांकित शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आठ पर्वतीय जिलों में चल रहे राजकीय इंटर कालेजों के लिये क्रमशः 74-75 से 77-78 तक स्वीकृत अस्थायी पदों जिनका उल्लेख संलग्न तालिका I- IV में किया गया है, की निरन्तरता की अवधि 28 फरवरी, 1979 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं । इन पदों को आवश्यकता के अनुसार 28 फरवरी, 1979 से पहले ही बिना पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकता है ।

1- शासनादेश सं0 1079/4(4)/28-2-77, दिनांक 22 मार्च, 1977
2- शासनादेश सं0 7004/4(4)/28-2-76 दिनांक 19-10-77
3- शासनादेश सं0 7493/4(4)/28-2-77, दिनांक 5-11-77
4- शासनादेश सं0 7523/4(4)/28-2-77, दिनांक 14-12-77
5- शासनादेश सं0 8226/4(4)/28-2-77 दिनांक 6-1-78
6- शासनादेश सं0 531/4(4)/28-2-77 दिनांक 16-1-78
7- शासनादेश सं0 975/4(4)/28-2-77, दिनांक 28 फरवरी, 1978

2- इन पदों पर 1978-79 में होने वाला (1) वेतन तथा (2) मंहगाई भत्ता का अनुमानित व्यय शासन को अलग-अलग यथा शीघ्र सूचित करने का कष्ट करें ।

3- उपरोक्त व्यय वर्ष 1978-79 के आय व्ययक शीर्षक "299-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र-आयोजनागत-पर्वतीय क्षेत्र-चार शिक्षा (ख) माध्यमिक (111) राजकीय माध्यमिक विद्यालय (1x) ग-राजकीय हाई स्कूलों का इंटर स्तर तक उच्चीकरण" के नामे लिखा जायेगा ।

4- उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय लेखानुदान एवं संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो और अनुवर्ती अवधि में जो

(कृ0पृ0उ0)

लेखानुदान के अन्तर्गत नहीं है, के लिये का वित्तीय वर्ष के मूल आय-व्ययक तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय ।

भवदीय

(प्रताप सिंह)
उप सचिव ।

संख्या 1552(1)/4(10)/28-2-78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(प्रताप सिंह)
उप सचिव ।

संख्या 1552(2)/4(10)/28-2-78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
2- उप शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल ।
3- उप शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पैडीगढवाल ।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोडा/नैनीताल/उत्तरकाशी/पौडीगढवाल/टिहरी गढवाल पिथौरागढ/चमोली एवं देहरादून
5- मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, गढवाल मण्डल, पौडी गढवाल ।
6- मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल
7- शिक्षा (12)/वित्त व्यय नियंत्रण ×। अनुभाग ।
8- प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या सम्बन्धित विद्यालय ।
9- संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) 18 पार्क रोड लखनऊ

आज्ञा से,

(प्रताप सिंह)
उप सचिव ।